

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 5302/भू-अर्जन/2025

कोरबा, दिनांक 25/04/2025

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : दीपका
3. ग्राम/नगर : सरईसिंगार
4. भूमि का क्षेत्रफल: 3.299 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
383	0.024	291	0.101
164	0.181	286	0.008
166	0.024	391	0.004
261/3	0.040	381/1	0.016
175/2	0.121	287	0.028
168/2	0.166	290/2	0.142
168/3	0.121	260/2	0.004
169	0.077	292/2	0.040
189	0.049	298/1	0.004
172/2	0.016	297/1	0.233
171	0.121	299/1	0.081
170		394/2	0.049
191		386	0.004
174	0.060	387/1	0.016
187	0.045	382	0.024
173	0.068	393/2	0.113
172/1	0.004	394/1	0.057
260/1	0.142	397	0.004
176	0.130	266/3	0.077
184	0.016	168/4	0.028
297/2	0.131	188/3	0.029
186/2	0.036	186/3	0.050
392	0.012	186/1	0.057


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

186/4	0.032	165/1	0.073
188/1	0.069	290/3	0.040
188/2	0.040	393/1	0.008
261/4	0.045	290/1	0.081
266/1	0.089	168/1	0.016
266/2	0.053	-	-
योग :-	कुल खसरा नं. - 57, कुल रकबा - 3.299 हे.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।


 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 कटघोरा (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार


 (अजीत वसंत)
 कलेक्टर,
 जिला कोरबा
 एवं पदेन उप सचिव,
 छत्तीसगढ़ शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग